

भाग—III**हरियाणा सरकार**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग,

अधिसूचना

दिनांक प्रथम जुलाई, 2020

संख्या सांका०नि०-2 संवि०/अनु० 309/2020.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग निदेशालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1982, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग निदेशालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग, निदेशालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1982 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया) में, “खाद्य तथा पूर्ति विभाग” शब्द, जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, “खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 5 में, “तीस वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “बयालीस वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

पी० के० दास,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT****Notification**

The 1st July, 2020

No. G.S.R. 2/Const./Art. 309/2020.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Food and Supplies Department Directorate (Group C) Service Rules, 1982, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Food and Supplies Department Directorate (Group C) Service (Amendment) Rules, 2020.
2. In the Haryana Food and Supplies Department Directorate (Group C) Service Rules, 1982 (hereinafter called the said rules), for the words “Food and Supplies Department” wherever occurring, the word and sign “Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department” Shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 5, for the word “thirty”, the words and sign “forty-two” shall be substituted.

P. K. DAS,

Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department.